ग्राम पंचायत रायपुर, विकास खण्ड भटियात, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 04/2022 से 03/2024

भाग-एक

1 प्रस्तावना

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफ़ारिशों के फ़लस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम-1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप-सचिव पंचायती राज विभाग के संशोधन पत्र संख्या पीसीएच-एचसी(5)-सी(15)एलएडी/2006-12669 दिनांक-07-04-2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व हिमाचल प्रदेश, राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत रायपुर, विकास खण्ड भटियात, जिला चम्बा के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण कार्य विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि 01-04-2022 से 31-03-2024 तक के दौरान ग्राम पचांयत रायपुर में निम्नलिखित प्रधान एवं सचिव कार्यरत रहे :-

प्रधान

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम	अवधि
1.	श्री राजमल	01-04-2022 से 31-03-2024

सचिव

क्रम संख्या	सचिव का नाम	अवधि
1.	श्री सरदार सिंह	01-04-2022 से 31-03-2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार

ग्राम पंचायत रायपुर, विकास खण्ड भटियात, जिला चम्बा के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई

गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है। जोकि उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु विशेष रूप से लाई जाती है।

क्र० स०	गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	पैरा संख्या	राशि (₹ लाखों में)
01.	वेंडरों/आपूर्तिकर्ताओं से W, X फॉर्म प्राप्त किये बिना ही खनन सामग्री का अनियमित क्रय/ भुगतान करने बारे।	8.1	16.79
02.	ठेकेदारों/संविदाकारों से टी०डी०एस० की कटौती न करने के कारण सरकारी राजकोष को वित्तीय हानि बारे।	8.2	0.07
03.	मनरेगा अनुदान के अंतर्गत संदिग्ध व अनियमित भुगतान बारे।	9.1	4.85
04.	मनरेगा अनुदान के तहत सामग्री पर तय अनुपात से अधिक व्यय बारे।	9.2	6.28
05.	15वें वित्तायोग से मोबाइल फ़ोन, LED टीवी इत्यादि के क्रय पर अनियमित व्यय करने बारे।	9.3	0.65
06.	सभा निधि (स्व-स्त्रोत) से अनियमित व्यय करने बारे।	9.4	0.15
07.	बिना प्रॉपर/टैक्स बिलों के अनियमित क्रय तथा संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही किये गये अनियमित भुगतान बारे।	9.6 9.7	19.43

(घ) गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा ग्राम पंचायत रायपुर का अंकेक्षण, अवधि 04/2014 से 03/2017 तक किया गया था जिसमें सम्मिलित अनिर्णीत पैरों के समायोजन बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या SAD/CBA/2024/02 दिनांक 03-10-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा बताया गया कि, गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों पर आवश्यक कार्रवाई उपरान्त विभाग को सूचित कर दिया जायेगा। प्रस्तुत उत्तर संतोषजनक नहीं है प्रतिवेदन में शामिल अनिर्णीत पैरों पर शीघ्र ही कार्रवाई की जानी सुनिश्चित की जाये। वर्तमान

अंकेक्षण में केवल पैरा संख्या 4 व 20 को ही पुन: प्रारूपित किया गया अन्य पैरों का समायोजन विभाग द्वारा जिला पंचायत अधिकारी कार्यालय में पैरे निपटान हेतु विशेष कैंप में पैरों पर की गई कार्रवाई को रिपोर्ट से लेकर शामिल किया गया तदोपरान्त निर्णीत पैरों की स्थिति सहित अंकेक्षण प्रतिवेदन में समाविष्ट अन्य लम्बित पैरों की स्थिति निम्न वर्णित है :-

1. अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2014 से 03/2017 तक

क्रम संख्या	पैरा संख्या	पैरा स्थिति	टिप्पणी
1.	3	अनिर्णीत	-
2.	4	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित।
3.	4.1 से 4.2	अनिर्णीत	-
4.	5	निर्णीत	अलग-अलग रजिस्टर खोल दिए गये हैं।
5.	6	निर्णीत	वर्गीकृत सार रजिस्टर लगा दिया गया है।
6.	7	निर्णीत	राशि 50 वसूल कर लिये गये हैं।
7.	8	अनिर्णीत	-
8.	9	निर्णीत	राशि ₹12274 रोकड़ बही 62 दिनांक 15-06-2017
9.	10	अनिर्णीत	-
10.	11	अंशत:निर्णीत	कार्रवाई देख ली गई है।
11.	12	अनिर्णीत	-
12.	13	निर्णीत	₹830 वसूल कर लिये गये हैं।
13.	14	अनिर्णीत	-
14.	15	अनिर्णीत	-
15.	16	अनिर्णीत	-
16.	17	अनिर्णीत	-

17.	18	अनिर्णीत	-
18.	19	अनिर्णीत	-
19.	20	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित।
20.	21	अनिर्णीत	-

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत रायपुर, विकास खण्ड भटियात, जिला चम्बा के अवधि 04/2022 से 03/2024 के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण श्री पवन कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 03-10-2024 से 14-10-2024 तक ग्राम पंचायत रायपुर के कार्यालय में किया गया। वर्तमान निधि लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्न मासों का चयन किया गया। जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	आय चयनित माह	व्यय चयनित माह
1.	2022-2023	03/2023	05/2022
2.	2023-2024	03/2024	06/2023

अस्वीकरण:- वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत रायपुर, विकास खण्ड भटियात, जिला चम्बा के अवधि 04/2022 से 03/2024 तक के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु शुल्क ₹5600/- आँका गया है। अंकेक्षण शुल्क की उक्त राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-09 को प्रेषित

करने हेतु पंचायत सचिव से अंकेक्षण अधियाचना संख्या SAD/CBA/2024/12 दिनांक 14-10-2024 द्वारा अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति

ग्राम पंचायत रायपुर द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

4.1 (अ) स्व:-स्त्रोत व अनुदान ग्राम पंचायत रायपुर के अवधि 04/2022 से 03/2024 तक स्व:-स्त्रोतों व अनुदान की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है। जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट-1 व 2** में भी दिया गया है।

1. स्व:-स्त्रोत

वित्तीय वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अंतिम शेष
2022-23	91711.39	238583.00	330294.39	246530.00	83764.39
2023-24	83764.39	27321.00	111085.39	52503.00	58582.39

2. अनुदान

वित्तीय वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अंतिम शेष
20222023	2315191.30	12993239.00	15308430.30	13031253.00	2277177.30
20232024	2277177.30	6490864.00	8768041.30	7528734.00	1239307.30

कुल योग (1+2) **₹58582.39 + ₹1239307.30 = ₹1297889.69**

(ब) ग्राम पचांयत रायपुर, का दिनांक 31/03/2024 को बैंक खातों में अन्तशेष विवरण

क्र० सं०	अनुदान का नाम	खाता संख्या	बैंक का नाम	राशि 31-03-2024
1.	15th FC	50100356259489	HDFC Dalhousie	**722033.30**
2.	General SDP/ VKVNY/ICDS	18010105562	HPSCB Chuwari	**448861.00**
3.	5th SFC/RGSA	1325000100225469	PNB Raipur	**78844.00**

4.	Own Source	1325000100011123	PNB Raipur	**46292.39**
			Cash In hand	**0.00**
			TOTAL	**₹1296030.69**

अन्तर (अ-ब) ₹1297889.69 - ₹1296030.69 = ₹1859.00

5 बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने के कारण रोकड़ बहियों व बैंक खातों के अन्तशेष में राशि ₹1859 का अन्तर।

अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, ग्राम पंचायत रायपुर, द्वारा हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **7(3) व 10(1)** की अनुपालना में मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की गई थी। जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनांक 31-03-2024 को रोकड़ बही तथा बैंक खातों के अन्तशेष में राशि ₹1859.00 का अन्तर बैंक पासबुक में कम शेष के रूप पाया गया। जिसका विस्तृत ब्यौरा पैरा संख्या 4.1 में दिया गया है।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-08 दिनांक 07-10-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया कि, भविष्य में बैंक समाधान विवरणी मासिक आधार पर तैयार की जाएगी एवं वर्तमान अंतर का मिलान करके लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा। अत: भविष्य में नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करके बैंक एवं रोकड़ बही का मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा वर्तमान में अन्तर का अति शीघ्र मिलान भी किया जाये तथा अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

6 विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों की राशि ₹12.39 लाख का अवरोधन।

पंचायत द्वारा **परिशिष्ट 1 व 2** पर अनुदानों से सम्बधित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31-03-2024 तक अनुदान से प्राप्त अनुदान राशियों में से ₹1239307.30 की राशि (रोकड़ बही के अनुसार) उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों की शर्त अनुसार अनुदान राशि को

विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था। जबकि पंचायत द्वारा अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा। यह अनियमितता सम्बन्धित पंचायत के कर्मचारियों व पंचायत प्रतिनिधियों के अकुशल वित्तीय प्रबन्धन को भी इंगित करता है।

उक्त राशि के उपयोग/व्यय न करने बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-08 दिनांक 07-10-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त स्पष्ट किया कि, भविष्य में प्राप्त अनुदान को समय पर खर्च किया जायेगा। अत: अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये एवं कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

7 पंचायत राजस्व, गृहकर की बकाया राशि ₹0.80 लाख की वसूली न करने बारे।

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 33 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत सचिव का दायित्व है कि, समस्त राजस्व को नियमित व अविलम्ब रूप से वसूलने व सम्बन्धित ग्राम पंचायत के खातों में समय पर जमा करवाना सुनिश्चित करें, तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 114 में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति किसी कर, शुल्क, दर राशि का भुगतान नहीं करता तो वह जुर्माने के साथ दण्ड का भागीदार होगा।

ग्राम पंचायत रायपुर के अंकेक्षण में पाया गया कि, पंचायत सचिव द्वारा सम्पति कर (गृहकर) रजिस्टर को संधारित नहीं किया गया था। जिस कारण सम्पति कर की वार्षिक मांग व गत बकाया राशि बारे पुष्टि नहीं हो सकी। ग्राम पंचायत द्वारा धारा 114 के अनुरूप गृहकर का समय पर भुगतान न करने के लिए चुककर्ताओं पर दण्ड लगाने हेतु भी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। पंचायत द्वारा पंजीकृत परिवारों के आधार पर उपलब्ध करवाए गए अभिलेखानुसार निम्न ₹80310 राशि वसूली हेतु शेष है।

वित्तीय-वर्ष	गत शेष	कुल परिवार	दर	वर्ष के दौरान मांग	कुल मांग	कुल प्राप्त राशि (₹)	बकाया राशि (₹)
2022-23	78210	720	30	21600	99810	30000	69810
2023-24	69810	720	30	21600	91410	11100	80310

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-11 दिनांक 09-10-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त सूचित किया गया कि, पंचायत राजस्व की वसूली समय पर की जाएगी। उत्तर ग्राम पंचायत द्वारा अप्रभावी निगरानी का द्योतक है जिसके परिणाम स्वरूप राजस्व का गैर संग्रहण/हानि हो सकती है। अतः सम्पति/गृहकर की बकाया राशि की शीघ्रातिशीघ्र वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7.2 विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली गई राशि को सरकारी राजकोष में जमा न करना

हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1996 की धारा 22 एवं हि०प्र० सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण विभाग की अधिसूचना संख्या WLF-A(3)-1/97, दिनांक 17-12-2004 व SJE-A-A(3)-1/2015 दिनांक 04-10-2016 एवं पंचायती राज विभाग द्वारा जारी पत्र संख्या PCH-HA(1)8/2013-Marrige-8107-10 दिनांक 28-10-2016 के अनुसार विवाह पंजीकरण के शुल्क की वसूली करने उपरान्त वसूली गई राशि को सरकारी राजकोष के प्राप्ति शीर्षक खाता संख्या "0235-00-800-03" में विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जमा की जानी अपेक्षित है।

अभिलेखों के अंकेक्षण में पाया गया कि, उक्त पंचायत सचिव द्वारा निम्न विवरणानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के तौर पर वसूली गई राशि ₹3100/- को सरकारी राजकोष में जमा नहीं करवाया गया था अपितु इसे पंचायत के सभा निधि के बैंक खाते में रखा गया था जोकि उक्त नियमानुसार अनुचित है।

वित्तीय वर्ष	कुल पंजीकृत विवाह	APL Rate		राशि	BPL Rate		राशि	कुल राशि सामान्य व BPL
		Without Late Fee	With Late Fee		Without Late Fee	With Late Fee		
2022-2023	16	07@200	01@400	1800	8@25	-	200	2000
2023-2024	16	04@200	-	800	12@25		300	1100
कुल योग	**32**	**11@200**	**01@400**	**2600**	**20@25**		**500**	**3100**

इस सम्बन्ध में जारी अधियाचना संख्या-11 दिनांक 09-10-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा बताया कि, विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली उपरान्त उसे शीघ्र ही सरकारी राजकोष में जमा करवा दिया जायेगा। अत: उपरोक्त राशि ₹3100 की वसूली करने उपरान्त सम्बन्धित खाते/कोष में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाये तथा गत वर्षों में इस प्रकार से सरकारी राजकोष में जमा नहीं करवाई गई राशि को भी जमा करवाना सुनिश्चित किया जाये। भविष्य में इस प्रकार की गलती की पुनरावृत्ति न की जाये तथा अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये।

8 आपूर्तिकर्ताओं/वेडरों से W, X फॉर्म प्राप्त किये बिना ही राशि ₹16.79 लाख की खनन सामग्री का अनियमित क्रय/भुगतान करने बारे।

हि० प्र० माइनर मिनरल्स नियम 2015 के नियमों एवं निदेशक पंचायती राज व ग्रामीण विकास के पत्र संख्या-204192 /1-General/2023-DB-(RD&PR)-XEN 30-34307-2023/ दिनांक 20-11-2023 द्वारा माननीय हाई कोर्ट के आदेशों CWP No. 868 of 2023 के अनुसार किसी कांट्रेक्टर/वेंडर से खनन सामग्री की आपूर्ति/क्रय करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित वैध ट्रांजिट पास (फॉर्म-W) या सप्लीमेंट्री ट्रांजिट पास (फॉर्म-X) उपलब्ध करवाने उपरान्त ही भुगतान किया जाना अपेक्षित था।

परन्तु ग्राम पंचायत रायपुर के अभिलेखों के चयनित माहों के अंकेक्षण एवं पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के आधार पर पाया गया कि, पंचायत द्वारा वेंडरों/ठेकेदारों से बिना W,X-फॉर्म प्राप्त किये ही राशि ₹1678693.50 (संलग्न **परिशिष्ट "4"** के अनुसार) की खनन सामग्री जैसे रेत, बजरी व पत्थर इत्यादि का क्रय किया तथा उक्त राशि का अनियमित भुगतान सम्बन्धित वेंडरों को किया गया जिससे उक्त आदेशों/नियमों की पूर्णत: अवहेलना की गई है।

इस गम्भीर अनियमितिता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 04 दिनांक 07-10-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि के उपरान्त कहा कि, पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान W,X फॉर्म प्राप्त किये बिना ही किया गया लेकिन इस सम्बन्ध में शीघ्र ही नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवा दिया जायेगा। उत्तर संतोषजनक नहीं है।

अभिलेखों के अवलोकन व प्रस्तुत उत्तर से ऐसा प्रतीत होता है कि, पंचायत में निष्पादित कार्यों हेतु क्रय खनन सामग्री का भुगतान बिना W, X फॉर्म प्राप्त किया बिना ही किया जा रहा है। जोकि उक्त आदेशों व नियमों के प्रतिकूल है। चूँकि बिना W, X फॉर्म के क्रय से यह भी सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि वेंडर, जिससे क्रय किया गया वह खनन सामग्री के विक्रय हेतु अधिकृत था अथवा नहीं जिससे अवैध खनन के साथ-साथ खनन सामग्री पर सरकार को प्राप्त होने वाले राजस्व GST, रॉयल्टी की वित्तीय हानि की सम्भावना को भी नहीं नकारा जा सकता है। यह एक गम्भीर अनियमितता है जो उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से लाई जाती है। अत: उक्त अनियमितता को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत कार्रवाई/अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

8.2 संविदाकारों से टी०डी०एस० की कटौती न करने के कारण सरकार को राशि ₹6528 की वित्तीय हानि बारे।

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194(C) के अनुसार आहरण व संवितरण अधिकारी द्वारा भुगतान करने से पूर्व TDS की कटौती करना एवं उसे सरकारी कोष में समयबद्ध तिथि को जमा करवाना अनिवार्य है।

ग्राम पंचायत रायपुर के चयनित माहों के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान संलग्न **परिशिष्ट "5"** के अनुसार राशि ₹326399/- का भुगतान किया गया। परन्तु उक्त भुगतान करते समय स्त्रोत पर कर कटौती (TDS) नहीं की गई थी। जिससे आयकर अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों की अवहेलना हुई जिसके फलस्वरूप सरकारी राजस्व के तौर पर राशि ₹6527.98/- (2%) की वित्तीय हानि आहरण व संवितरण अधिकारी के कारण हुई है।

इस अनियमितता के सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-05 दिनांक 07-10-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा कि, टी.डी.एस.के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी न होने के अभाव में इसकी कटौती नहीं की गई परन्तु इस सम्बन्ध में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उत्तर संतोषजनक नहीं है।

अत: आहरण व संवितरण अधिकारी द्वारा उक्त प्रकरण में टी.डी.एस की कटौती किये बिना किये गये भुगतानों को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा आयकर अधिनियमों के तहत आहरण व संवितरण अधिकारी से उक्त राशि की वसूली व्याज सहित करके तुरंत सरकारी राजकोष में जमा करवाया जाये इसके अतिरिक्त इस प्रकार के अन्य मामलों में अपने स्तर पर गणना करके राशि को जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को भी अवगत करवाया जाये।

8.3 कनिष्ठ अभियंता स्तर पर निष्पादित राशि ₹30 लाख के निर्माण कार्यों से सम्बंधित स्वीकृति/कार्य आदेश, प्राक्कलन, मापन पुस्तिका इत्यादि प्रस्तुत न करना।

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 व संशोधित नियम 2017 के नियम 94, 95 व 101 के अनुसार किसी भी विकास कार्य का निष्पादन प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, मापन पुस्तिका व प्राक्कलन तैयार किये बिना नहीं किया जा सकता है।

ग्राम पंचायत की चयनित माहों की लेखा परीक्षा के दौरान निम्नविवरणानुसार राशि ₹3000000 के करवाए गए कार्यों के प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, कार्य आदेश,

प्राक्कलन, व प्रपत्र-34 इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए। जिसके अभाव में किये गए कार्यों व उसमें प्रयुक्त सामग्री/लेबर के व्यय, खपत, सत्यता एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी।

क्रम संख्या अनुदान/	**कार्य विवरण**	**स्वीकृत राशि**	**अभिलेख जो प्रस्तुत नहीं किये**
ICDS& .1 MGREGA	कार्य:आंगनबाड़ी भवन कुडी	1000000	MBEstimate, Work Order and Technical sanction order,UCC, Form 13C in Format-34.etc
2.MGREGA	कार्य:सामुदायिक भवन रायपुर फेज-1	1000000	MB,Estimate Work Order and Technical sanction order,Format-34.etc
3.MGREGA	कार्य:सामुदायिक भवन रायपुर फेज-2	1000000	
	कुल योग	**3000000**	

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-07 दिनांक 07-10-2024 के प्रत्युत्तर में कहा कि, उक्त निर्माण कार्यों का निष्पादन कनिष्ठ अभियंता द्वारा करवाया गया है तथा इससे सम्बन्धित सभी अभिलेख विकास खंड कार्यालय में उनके पास पड़े है अंकेक्षण बारे उने सूचित कर दिया गया था परन्तु न तो उन्होने अभिलेख पंचायत को प्रेषित किये ओर न ही वे स्वयं उपस्थित हुए। प्रस्तुत उत्तर संतोषजनक नहीं है चूँकि उक्त कर्मचारी द्वारा करवाये गए कार्यों के अभिलेखों का पंचायत में उपलब्ध न करवाना आपत्तिजनक है। अत: उक्त वांछित अभिलेखों को उपलब्ध न करवाने का औचित्य स्पष्ट करते हुए न्यायोचित ठहराया जाये तथा मामले में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

9.1 मनरेगा अनुदान के अंतर्गत राशि ₹4.85 के संदिग्ध व अनियमित भुगतान बारे।

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त,बजट,लेखे,सकंर्म,कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 44 से 49 में वर्णित विविध प्रावधानों को पूर्ण करने उपरान्त ही व्यय/भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत रायपुर के चयनित माहों के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा निम्नविवरण राशि ₹484676 का भुगतान मनरेगा अनुदान से किया गया लेकिन व्यय में निम्न वर्णित अनियमितताएं पाई गई:-

Supplier Detail	Material Detail	Bill/Date & BillAmount	Vr.No/ Date	Paid Amount
1. M/S Mahajan Construction Co.Chuwari. Chamba GSTIN NO.02BCWPM5904N1Z 2	Interlock Tiles 8946No. @ 18.90GST 18% GST	2152/ 26-06-23 199513.22	Nil/ 28-06-23	31939.02
			Nil/ 19-09-23	137050.92
			Unpaid	30523.28
2. M/S Mahajan Construction Co.Chuwari. Chamba	Agg.21.36m3@1765 Sand 26.28m3@1942 Stone 50m3@1000	2151/Nil 138735	Nil/28-06-2023	138735.00
3. M/S Mahajan Construction Co.Chuwari.	Agg.35.17m3@1765 Sand 24m3@1772	1035/ 30-03-2023	Nil/28-06-2023	146428.00
			TOTAL	**₹484676.22**

1. उक्त तालिका में वर्णित बिलों को ग्राम पंचायत के DDO (प्रधान व सचिव) द्वारा भुगतान हेतु सत्यापित व हस्ताक्षरित नहीं किया गया तथा इन पर अदायगी हेतु पारित प्रस्ताव संख्या व दिनांक भी अंकित नहीं है जोकि नियम 49 के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है।
2. ग्राम पंचायत द्वारा संधारित स्टॉक रजिस्टर में भी उक्त क्रय बिलों के अंतर्गत क्रय स्टोर/स्टॉक का इन्द्राज नहीं पाया गया जोकि संदिग्ध प्रतीत होता है।
3. ग्राम पंचायत द्वारा नियम 48 के अंतर्गत बिल रजिस्टर का संधारण नहीं किया गया था जिससे कि उक्त व्यय बिलों की वास्तविकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी।
4. उक्त वर्णित बिलों का भुगतान प्रॉपर/टैक्स बिल पर न करके केवल परफोर्मा बिल पर कर दिया गया जोकि उचित प्रतीत नहीं होता है।

उक्त गम्भीर अनियमितता के सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 10 दिनांक 08-10-2024 के प्रत्युत्तर में तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त सचिव द्वारा स्पष्ट किया कि, उक्त राशि का भुगतान ग्राम रोजगार सेवक श्री सोमराज द्वारा पंचायत की जानकारी की बिना ही अपने स्तर पर किया गया तथा इस सम्बन्ध में विकास खंड अधिकारी को भी सूचित कर दिया गया है उक्त व्यय बिलों का पंचायत में कोई भी स्टोर/स्टॉक प्राप्त नहीं हुआ है।

उक्त तथ्यों व पंचायत द्वारा प्रस्तुत उत्तर के दृष्टिगत ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त व्यय राशि के सम्बन्ध में न केवल वित्तीय व प्रक्रियात्मक चूक सम्बन्धी जैसी अनियमिताएं हुई है। अपितु इसमें राशि के वित्तीय हानि/दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी नहीं किया जा सकता है। यह एक गम्भीर अनियमितता है जोकि उच्चाधिकारियों के समक्ष विशेष तौर पर लाई जाती है। अत: उक्त व्यय को न्यायोचित ठहराते हुए अपना स्पष्टीकरण अनुवर्तन रिपोर्ट के साथ शीघ्र प्रेषित करें अन्यथा उक्त राशि की प्रतिपूर्ति नियमानुसार करके खाते में जमा करवाई जाये तथा कृत कार्रवाई से लेखा परीक्षा विभाग को शीघ्र अवगत करवाया जाये।

9.2 मनरेगा अनुदान के अंतर्गत सामग्री पर तय अनुपात से राशि ₹6.28 लाख का अधिक अनियमित व्यय करने बारे।

मनरेगा परिचालन दिशा-निर्देश 2013 (MNREGA Operatinal Guidlines 2013) **नियम 7.4** के अंतर्गत पंचायत स्तर पर मजदूरी व सामग्री को तय अनुपात में खर्च किये जाने के नियम प्रावधित हैं। जिसके अंतर्गत मजदूरी लागत का भौतिक लागत से अनुपात अधिनियम में निर्धारित 60:40 (मजदूरी व सामग्री) के न्यूनतम मापदंड से कम नहीं होना चाहिए।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा निम्नविवरणानुसार सामग्री पर तय अनुपात से राशि ₹627510 (6.50%) का अधिक व्यय किया गया। चूँकि सामग्री पर तय अनुपात से अधिक व्यय से रोजगार का कम सृजन हुआ जिसके परिणामस्वरूप ग्राम वासियों को कम कार्य दिवस मिले। जोकि न केवल उक्त दिशा-निर्देशों की स्पष्ट अवहेलना

है अपितु मनरेगा योजना के मौलिक उदेश्य "ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने" को भी हतोत्साहित करता है।

क्रम.	वित्तीय वर्ष	कुल व्यय (लाखों में)	मजदूरी पर व्यय(लाखों में)	मजदूरी पर व्यय प्रतिशतता	सामान पर व्यय (लाखों में)	सामान पर व्यय प्रतिशतता
1.	2023-24	96.54	51.65	53.50%	44.90	46.50%
	सामाग्री पर तय अनुपात से अधिक व्यय				**₹627510**	**+6.50%**

इस सन्दर्भ में जारी अधियाचना संख्या-09 दिनांक 07-10-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा कहा गया कि, मनरेगा के अंतर्गत तय अनुपात से सामग्री के अधिक व्यय की सक्षम अधिकारी से स्वीकृति ली जाएगी। अत: उक्त अनियमितता से न केवल सामग्री पर तय अनुपात से अधिक व्यय किया गया अपितु ग्रामीणों को मिलने वाले रोजगार में कमी पंचायत के कारण हुई जोकि आपत्तिजनक है। अतः मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

9.3 15वें वित्तायोग से राशि ₹0.65 लाख का अनियमित व्यय करने बारे।

सचिव व निदेशक पंचायती राज विभाग हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या PCH-HC(10)1/2018-15th FC-75344-439 दिनांक 02 सितम्बर 2021 के अंतर्गत 15वें वित्तायोग के तहत अनटाईड ग्रांट के अंतर्गत निहित **परिशिष्ट I व II** में उक्त अनुदान के अंतर्गत स्वीकार्य सांकेतिक मदों/कार्यों की सूची में ही व्यय किया जाना अपेक्षित था।

ग्राम पंचायत के अभिलेखों के अंकेक्षण दौरान व्यय वाउचरों के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा 15वें वित्तायोग से निम्न विवरणानुसार राशि ₹64799 का व्यय मोबाईल फ़ोन, LED टीवी, DISH इत्यादि के क्रय पर किया गया जोकि उक्त नियम/आदेश के तहत जारी स्वीकार्य सांकेतिक मदों/कार्यों की सूची में निहित न होने के कारण प्रतिकूल प्रतीत होता है।

क्र०स०	वाउचर/दिनांक	आपूर्तिकर्ता का विवरण	सामान का विवरण	राशि
1.	18/05-05-2022	मै०राणा ट्रेडर्स, चुवाड़ी	LED TV & DISH	29800

2.	128/20-01-23	मै० महाजन कम्युनिकेशन चुवाड़ी	मोबाईल फ़ोन	34999
			कुल योग	**₹64799**

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-09 दिनांक 07-10-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव ने कहा कि, उक्त अनुदान से व्यय राशि की सक्षम अधिकारी से स्वीकृति ली जाएगी। अत: उक्त मदों पर किये गये व्यय को नियमानुसार न्यायोचित ठहराते हुए सक्षम अधिकारी से स्वीकृति ली जाये अन्यथा अनियमित व्यय की प्रतिपूर्ति करके सम्बन्धित खाते में जमा करवा कर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

9.4 सभा निधि (स्व-स्त्रोत) से राशि ₹0.15 लाख का अनियमित व्यय करने बारे।

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त,बजट,लेखे,सम्परीक्षा,संकर्म,कराधान एवं भते) नियम 2002 के **नियम 8(1)** के अनुसार बजट उपबंधों के अधीन समनुदेशित कर्तव्यों और कृत्यों के अनुपालन के लिये खाता- क से ग्राम पंचायत द्वारा उपगत व्यय, ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित करने उपरान्त ग्राम पंचायत निधि पर विधि मान्य प्रभार होगा।

ग्राम पंचायत रायपुर के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि, पंचायत द्वारा तिरंगा झंडों के क्रय हेतु वाउचर संख्या 03 व 04 दिनांक 25-09-2023 को राशि ₹15000 (12500+2500) का भुगतान जिला पंचायत अधिकारी को सभा निधि में से किया गया जबकि नियमानुसार यह भुगतान वितरित झंडों से एकत्रित राशि में से किया जाना अपेक्षित था। जोकि न केवल उक्त नियमों की स्पष्ट अवहेलना है, अपितु यह संदिग्ध भी प्रतीत होता है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-09 दिनांक 07-10-2024 द्वारा उक्त प्रकरण सचिव के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा गया कि, सभा निधि से तिरंगा पर व्यय की सक्षम अधिकारी से स्वीकृति ले ली जाएगी।

अत: किये गए उक्त व्यय से सम्बन्धित आवश्यक कार्रवाई करके व सक्षम अधिकारी से कार्योतर स्वीकृति लेकर उक्त व्यय को नियमित करवाया जाए अन्यथा उक्त राशि की प्रतिपूर्ति उचित स्त्रोत से करके सभा निधि में शीघ्र जमा करवाया जाये एवं भविष्य में इस प्रकार के गलती के पुनरावृत्ति न हो इसका भी ध्यान रखा जाये तथा कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

9.5 विहित औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना ही राशि ₹12.28 लाख के स्टॉक/स्टोर का अनियमित क्रय करने बारे।

हि०प्र० पंचायती राज ((वित्त,बजट,लेखे,सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 67(2) 67(3,क) 67(4), 67(5), 69 एवं 70 स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं जारी करने की औपचारिकतायें पूर्ण करने उपरान्त ही क्रय किया जाना अपेक्षित है।

परन्तु पंचायत के चयनित माहों के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा संलग्न **परिशिष्ट "3"** के अनुसार राशि ₹1228198/- के स्टॉक/स्टोर का क्रय उप-समिति के अनुमोदन बिना केवल पंचायत प्रधान व सचिव द्वारा अपने स्तर पर किया गया। इस क्रय हेतु न तो तुलनात्मक विवरण तैयार किया गया और ही कोई आपूर्ति आदेश इत्यादि पाये गये जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-06 दिनांक 07-10-2024 द्वारा उक्त प्रकरण सचिव के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा गया कि, भविष्य में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जायेगी। उत्तर संतोषजक नहीं है अत: मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये।

9.6 बिना प्रॉपर/टैक्स बिलों के राशि ₹19.43 लाख के स्टोर/स्टॉक का अनियमित क्रय व भुगतान करने बारे।

ग्राम पंचायत रायपुर के चयनित माहों के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा संलग्न **परिशिष्ट "6"** के अनुसार राशि ₹1942891.22 का भुगतान विभिन्न सामग्रियों के क्रय की एवज में किया गया परन्तु इन बिलों के अवलोकन में पाया गया यह

बिल प्रॉपर/टैक्स बिल न होकर केवल सादे कागज, केश मैमों एवं परफोर्मा बिल हैं। इसके अतिरिक्त उक्त वेंडरों की GST पंजीकरण प्रतिलिपि भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई जिससे कि यह भी सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि उक्त विक्रेता GST धारक है या नहीं? जिससे कि, इनकी सत्यता एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी इस प्रकार के बिलों की कुच्छ प्रतिलिपियाँ इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर संलग्न हैं।

इस गम्भीर अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 03 दिनांक 07-10-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि कहा कि, पूर्ण जानकारी न होने के अभाव में आपूर्तिकर्ताओं द्वारा अधिकतर सादे कागज, केश मैमों व परफोर्मा बिलों पर ही दावे किये गये जिनका भुगतान पंचायत द्वारा GST सहित किया गया परन्तु इस सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी न होने के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया गया कि वास्तव में GST को सरकारी राजकोष में जमा करवाया जा रहा है अथवा नहीं ? उक्त मामले की पंचायत स्तर पर छानबीन करके कृत कार्रवाई से अंकेक्षण विभाग को शीघ्र अवगत करवा दिया जायेगा। अत: इस सम्बन्ध में अपना पक्ष ठोस तथ्यों व अभिलेखों सहित यथाशीघ्र प्रस्तुत करते हुए उक्त किये गए व्यय को न्यायोचित ठहराया जाये तथा इसे अनुवर्तन रिपोर्ट के साथ शीघ्र ही प्रेषित किया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

9.7 सयुंक हस्ताक्षर के बिना ही राशि ₹19.43 लाख का अनियमित भुगतान करने बारे।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम **49(1)** के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा भुगतान हेतु ग्राम पंचायत प्रधान व सचिव दोनों द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित किया जाना जरुरी है।

ग्राम पंचायत के चयनित माहों के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत प्रधान द्वारा एकल हस्ताक्षर से ही (संलग्न **परिशिष्ट "6")** राशि ₹1942891.22/- भुगतान किये गए थे जोकि न केवल उक्त नियमों की स्पष्ट अवहेलना है अपितु यह संदिग्ध भी प्रतीत होता है जिसके अंतर्गत राशि के दुर्विनियोजन की सम्भावना को भी नहीं नकारा जा सकता है एवं न ही किये गए भुगतानों की सत्यता व प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं की जा सकी।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-09 दिनांक 07-10-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव ने कहा कि, भविष्य में नियमानुसार संयुक्त हस्ताक्षर उपरान्त ही बिलों का भुगतान किया जायेगा। उत्तर संतोषजनक नहीं है। अत: नियमविरुद्ध किये गए भुगतानों को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत कार्रवाई से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

9.8 पंचायत की माप पुस्तिकाओं के रख-रखाव में पाई गई विविध अनियमितताओं बारे।

हि०प्र० पंचायती राज ((वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के चैप्टर-11 के नियम 101 (ग) के अनुसार तकनीकी सहायकों की माप पुस्तिकाओं को कनिष्ट अभियंता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाना अनिवार्य है।

ग्राम पंचायत के तकनीकी स्तर पर करवाए गए निर्माण कार्यों की माप पुस्तिकाओं के अवलोकन में पाया गया कि यह उक्त नियमानुसार कनिष्ट अभियंता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं की गई थी जिससे कि अभिलेख की सत्यता व प्रमाणिकता की पुष्टि अंकेक्षण में नहीं की जा सकी। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 09 दिनांक 07-10-2024 के प्रत्युत्तर में कहा गया कि, भविष्य में उक्त अनियमितताओं की पुनरावृत्ति नहीं की जाएगी। उत्तर संतोषजनक नहीं हैं उक्त अनियमितताओं के सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाये।

9.9 मनरेगा मटेरियल व वर्क रजिस्टर के संधारण में पाई गई विविध अनियमिततायें एवं मनरेगा रोकड़ बही को प्रस्तुत न करने बारे।

(क) ग्राम पंचायत के मनरेगा ऑनलाइन मटेरियल रजिस्टर के अवलोकन में पाया गया कि, पंचायत द्वारा मनरेगा अनुदान के तहत वित्तीय वर्षो 2022-2023 एवं 2023-2024 के दौरान कुल ₹3710721 का स्टोर/स्टॉक क्रय किया गया था परन्तु उक्त ऑनलाइन रजिस्टर में क्रय स्टोर/स्टॉक को तकनीकी सहायक द्वारा न तो सत्यापित किया गया था और न ही इसके अथशेष, अन्तशेष तथा स्टॉक रजिस्टर प्रविष्टि का विवरण भरा गया है इसके अतिरिक्त मनरेगा ऑनलाइन वर्क रजिस्टर के अवलोकन में पाया गया कि, इसमें

कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि को नहीं भरा जा रहा है जोकि न केवल नियमानुसार अनुचित है अपितु इसके अभाव में स्टोर/स्टॉक के दुर्विनियोजन व कार्य में किसी प्रकार के अनाधिकृत समायोजन प्रविष्टि की सम्भावना को भी नहीं नकारा जा सकता है।

(ख) ग्राम पंचायत के मनरेगा अनुदान की रोकड़ बही को लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया आय-व्यय विवरण को ऑनलाइन वित्तीय विवरण से तैयार किया गया है जिससे कि, मनरेगा की रोकड़ बही का सत्यापन नहीं किया जा सका।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-09 दिनांक 07-10-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव, द्वारा सूचित किया कि, मनरेगा अनुदान के अभिलेखों को भविष्य में पूर्ण रूप से भरा जायेगा। प्रस्तुत उत्तर संतोषजनक नहीं है। अत: नियमविरुद्ध अपनाई गई इस कार्यप्रणाली को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाये तदानुसार कृत कार्रवाई से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

9.10 मनरेगा अनुदान के तहत व्यय राशि ₹0.46 लाख के बिल/वाउचरों को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे।

ग्राम पंचायत रायपुर के मनरेगा अनुदान के चयनित माहों के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, अनुदान के तहत निष्पादित कार्य : सिंचाई कुहल छोटा नाला के तहत दिनांक 27-06-2023 को राशि ₹45519.30 का भुगतान किया गया था परन्तु इस व्यय से सम्बन्धित कोई भी बिल/वाउचर अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे कि उक्त व्यय राशि की सत्यता व प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की सकी।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 10 दिनांक 08-10-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा स्पष्ट किया कि, उक्त कार्य के समस्त बिल/वाउचरों की मूल/वास्तविक प्रतियां को वार्ड सदस्या श्री गाटो देवी द्वारा विकास खंड कार्यालय में गलती से जमा करवा दिया गया है। इने शीघ्र प्राप्त कर लिया जायेगा।

अत: उक्त बिल/वाउचरों का पंचायत कार्यालय में न पाया जाना अनियमित व संदिग्ध है इस समबन्ध में शीघ्र ही नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत कार्रवाई से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाये।

9.11 मनरेगा के अंतर्गत किये भुगतानों के Fund Transfer Orders को प्रस्तुत न करना।

ग्राम पंचायत के चयनित माहों के अंकेक्षण में मनरेगा के अंतर्गत किये गए भुगतान के FTOs (fund transfer orders) को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कि यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि जो बिल पंचायत द्वारा अंकेक्षण में प्रस्तुत किये गए हैं वास्तव में उन्ही को भुगतान किया गया है।

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 09 दिनांक 07-10-2024 को सचिव को उक्त FTOs को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने हेतु आग्रह किया, जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा बताया कि मनरेगा भुगतानों के FTOs पंचायत में उपलब्ध नहीं है इस कारण यह अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये जा सकते। उत्तर संतोषजनक नहीं है अत: FTOs का पंचायत में न पाया जाना को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

10.1 रोकड़ बहियों का रख-रखाव/संधारण में पाई गई विविध अनियमितताओं बारे।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 7 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार रोकड़बहियों का रख-रखाव किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत रायपुर के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा समस्त अनुदानों व स्व-स्त्रोतों की रोकड़बहियों का संधारण ऑनलाइन व मैन्युअल दोनों माध्यम से किया जा रहा है। जबकि विभाग के दिशा-निर्देशों अनुसार रोकड़बहियों का संधारण e-ग्राम स्वराज में ही किया जाना अपेक्षित है। परन्तु पंचायत द्वारा 15वें वित्तायोग के अतिरिक्त केवल मैनुयल संधारित रोकड़बहियों को अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया। अंकेक्षण में प्रस्तुत मैन्युअल संधारित रोकड़बहियों का रख-रखाव उचित तरीके से नहीं किया गया था इसमे न तो अथशेष व अन्तशेष लिए गए हैं और न ही इसमें दर्ज/प्रविष्ट Transctions के प्रगतिशील योग किये गए हैं जोकि न केवल लेखांकन नियमों के विरुद्ध हैं अपितु इससे पंचायत द्वारा प्रस्तुत परिशिष्ट 1 व 2 में लिए अथशेषों व अंतशेषों को सत्यापित किया जा सका। ऐसी स्थिति में बैंक से किये जा रहे लेन-देन पर भी कोई नियन्त्रण नहीं रह जाता

तथा रोकड़बही, बैंक खाते में उपलब्ध शेष राशि बारे में कोई विश्वसनीय सूचना उपलब्ध नहीं करवाती। इसके अतिरिक्त ऐसी स्थिति में पंचायत द्वारा बनाई जा रही व उपलब्ध करवाई गई मासिक आय-व्यय तालिका, वार्षिक वित्तीय विवरण तथा संतुलन पत्र की मदें भी विश्वसनीय नहीं रह जाती तथा इसमें अनाधिकृत समायोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता।

इस सन्दर्भ में जारी अधियाचना संख्या-09 दिनांक 07-10-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा कहा गया कि, 15वें वित्तायोग के अतिरिक्त अन्य रोकड़बहियों का संधारण मेनुअल माध्यम से किया जा रहा है एवं ऑनलाइन संधारित रोकड़बहियाँ अपूर्ण होने के कारण वह लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की जा सकी। अत: भविष्य में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

10.2 पंचायत के वार्षिक लेखा खातों, आय-व्यय विवरणों एवं बैलेंस शीट इत्यादि को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे।

ग्राम पंचायत रायपुर के चयनित माहों के अंकेक्षण में पंचायत द्वारा संधारित किये जाने वाले आवश्यक अभिलेखों यथा वार्षिक प्राप्ति एवं भुगतान खाता, ट्रायल बैलेंस, आय एवं व्यय विवरण, बैलेंस शीट,बैंक बेलेंस सर्टिफिकेट एवं अन्य वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कि, पंचायत के उक्त लेखा खातों/अभिलेखों का अंकेक्षण के दौरान सत्यापन व प्रमाणीकरण नहीं किया जा सका।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-08 दिनांक 07-10-2024 द्वारा पंचायत सचिव से उक्त वित्तीय विवरणों को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करने के सम्बन्ध में अपना पक्ष रखने को कहा गया जिसके जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा बताया गया कि उक्त समस्त अभिलेख/वित्तीय विवरण पंचायत में उपलब्ध नहीं है जिस कारण यह अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया जा सके। उत्तर संतोषजनक नहीं है।

अत: उक्त अभिलेखों/वित्तीय विवरणों का संधारण न करना अथवा उनका पंचायत रिकॉर्ड में उपलब्ध न होना न केवल नियमानुसार अनुचित है अपितु यह

कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि को नहीं भरा जा रहा है जोकि न केवल नियमानुसार अनुचित है अपितु इसके अभाव में स्टोर/स्टॉक के दुर्विनियोजन व कार्य में किसी प्रकार के अनाधिकृत समायोजन प्रविष्टि की सम्भावना को भी नहीं नकारा जा सकता है।

(ख) ग्राम पंचायत के मनरेगा अनुदान की रोकड़ बही को लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया आय-व्यय विवरण को ऑनलाइन वित्तीय विवरण से तैयार किया गया है जिससे कि, मनरेगा की रोकड़ बही का सत्यापन नहीं किया जा सका।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-09 दिनांक 07-10-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव, द्वारा सूचित किया कि, मनरेगा अनुदान के अभिलेखों को भविष्य में पूर्ण रूप से भरा जायेगा। प्रस्तुत उत्तर संतोषजनक नहीं है। अतः नियमविरुद्ध अपनाई गई इस कार्यप्रणाली को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाये तदानुसार कृत कार्रवाई से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

9.10 मनरेगा अनुदान के तहत व्यय राशि ₹0.46 लाख के बिल/वाउचरों को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे।

ग्राम पंचायत रायपुर के मनरेगा अनुदान के चयनित माहों के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, अनुदान के तहत निष्पादित कार्य : सिंचाई कुहल छोटा नाला के तहत दिनांक 27-06-2023 को राशि ₹45519.30 का भुगतान किया गया था परन्तु इस व्यय से सम्बन्धित कोई भी बिल/वाउचर अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे कि उक्त व्यय राशि की सत्यता व प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की सकी।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 10 दिनांक 08-10-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा स्पष्ट किया कि, उक्त कार्य के समस्त बिल/वाउचरों की मूल/वास्तविक प्रतियां को वार्ड सदस्या श्री गाटो देवी द्वारा विकास खंड कार्यालय में गलती से जमा करवा दिया गया है। इने शीघ्र प्राप्त कर लिया जायेगा।

अतः उक्त बिल/वाउचरों का पंचायत कार्यालय में न पाया जाना अनियमित व संदिग्ध है इस समबन्ध में शीघ्र ही नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत कार्रवाई से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाये।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-09 दिनांक 07-10-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव ने कहा कि, भविष्य में नियमानुसार संयुक्त हस्ताक्षर उपरान्त ही बिलों का भुगतान किया जायेगा। उत्तर संतोषजनक नहीं है । अतः नियमविरुद्ध किये गए भुगतानों को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत कार्रवाई से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

9.8 पंचायत की माप पुस्तिकाओं के रख-रखाव में पाई गई विविध अनियमितताओं बारे।

हि०प्र० पंचायती राज ((वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के चैप्टर-11 के नियम 101 (ग) के अनुसार तकनीकी सहायकों की माप पुस्तिकाओं को कनिष्ट अभियंता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाना अनिवार्य है।

ग्राम पंचायत के तकनीकी स्तर पर करवाए गए निर्माण कार्यों की माप पुस्तिकाओं के अवलोकन में पाया गया कि यह उक्त नियमानुसार कनिष्ट अभियंता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं की गई थी जिससे कि अभिलेख की सत्यता व प्रमाणिकता की पुष्टि अंकेक्षण में नहीं की जा सकी। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 09 दिनांक 07-10-2024 के प्रत्युत्तर में कहा गया कि, भविष्य में उक्त अनियमितताओं की पुनरावृत्ति नहीं की जाएगी । उत्तर संतोषजनक नहीं हैं उक्त अनियमितताओं के सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाये।

9.9 मनरेगा मटेरियल व वर्क रजिस्टर के संधारण में पाई गई विविध अनियमिततायें एवं मनरेगा रोकड़ बही को प्रस्तुत न करने बारे ।

(क) ग्राम पंचायत के मनरेगा ऑनलाइन मटेरियल रजिस्टर के अवलोकन में पाया गया कि, पंचायत द्वारा मनरेगा अनुदान के तहत वित्तीय वर्षो 2022-2023 एवं 2023-2024 के दौरान कुल ₹3710721 का स्टोर/स्टॉक क्रय किया गया था परन्तु उक्त ऑनलाइन रजिस्टर में क्रय स्टोर/स्टॉक को तकनीकी सहायक द्वारा न तो सत्यापित किया गया था और न ही इसके अथशेष, अन्तशेष तथा स्टॉक रजिस्टर प्रविष्टि का विवरण भरा गया है इसके अतिरिक्त मनरेगा ऑनलाइन वर्क रजिस्टर के अवलोकन में पाया गया कि, इसमें

9.11 मनरेगा के अंतर्गत किये भुगतानों के Fund Transfer Orders को प्रस्तुत न करना।

ग्राम पंचायत के चयनित माहों के अंकेक्षण में मनरेगा के अंतर्गत किये गए भुगतान के FTOs (fund transfer orders) को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कि यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि जो बिल पंचायत द्वारा अंकेक्षण में प्रस्तुत किये गए हैं वास्तव में उन्ही को भुगतान किया गया है।

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 09 दिनांक 07-10-2024 को सचिव को उक्त FTOs को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने हेतु आग्रह किया, जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा बताया कि मनरेगा भुगतानों के FTOs पंचायत में उपलब्ध नहीं है इस कारण यह अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये जा सकते। उत्तर संतोषजनक नहीं है अत: FTOs का पंचायत में न पाया जाना को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

10.1 रोकड़ बहियों का रख-रखाव/संधारण में पाई गई विविध अनियमितताओं बारे।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 7 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार रोकड़बहियों का रख-रखाव किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत रायपुर के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा समस्त अनुदानों व स्व-स्त्रोतों की रोकड़बहियों का संधारण ऑनलाइन व मैन्युअल दोनों माध्यम से किया जा रहा है। जबकि विभाग के दिशा-निर्देशों अनुसार रोकड़बहियों का संधारण e-ग्राम स्वराज में ही किया जाना अपेक्षित है। परन्तु पंचायत द्वारा 15वें वित्तायोग के अतिरिक्त केवल मैनुयल संधारित रोकड़बहियों को अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया। अंकेक्षण में प्रस्तुत मैन्युअल संधारित रोकड़बहियों का रख-रखाव उचित तरीके से नहीं किया गया था इसमे न तो अथशेष व अन्तशेष लिए गए हैं और न ही इसमें दर्ज/प्रविष्ट Transctions के प्रगतिशील योग किये गए हैं जोकि न केवल लेखांकन नियमों के विरुद्ध हैं अपितु इससे पंचायत द्वारा प्रस्तुत परिशिष्ट 1 व 2 में लिए अथशेषों व अंतशेषों को सत्यापित किया जा सका। ऐसी स्थिति में बैंक से किये जा रहे लेन-देन पर भी कोई नियन्त्रण नहीं रह जाता

तथा रोकड़बही, बैंक खाते में उपलब्ध शेष राशि बारे में कोई विश्वसनीय सूचना उपलब्ध नहीं करवाती। इसके अतिरिक्त ऐसी स्थिति में पंचायत द्वारा बनाई जा रही व उपलब्ध करवाई गई मासिक आय-व्यय तालिका, वार्षिक वित्तीय विवरण तथा संतुलन पत्र की मदें भी विश्वसनीय नहीं रह जाती तथा इसमें अनाधिकृत समायोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता।

इस सन्दर्भ में जारी अधियाचना संख्या-09 दिनांक 07-10-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा कहा गया कि, 15वें वित्तायोग के अतिरिक्त अन्य रोकड़बहियों का संधारण मेनुअल माध्यम से किया जा रहा है एवं ऑनलाइन संधारित रोकड़बहियाँ अपूर्ण होने के कारण वह लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की जा सकी। अत: भविष्य में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

10.2 पंचायत के वार्षिक लेखा खातों, आय-व्यय विवरणों एवं बैलेंस शीट इत्यादि को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे।

ग्राम पंचायत रायपुर के चयनित माहों के अंकेक्षण में पंचायत द्वारा संधारित किये जाने वाले आवश्यक अभिलेखों यथा वार्षिक प्राप्ति एवं भुगतान खाता, ट्रायल बैलेंस, आय एवं व्यय विवरण, बैलेंस शीट,बैंक बेलेंस सर्टिफिकेट एवं अन्य वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कि, पंचायत के उक्त लेखा खातों/अभिलेखों का अंकेक्षण के दौरान सत्यापन व प्रमाणीकरण नहीं किया जा सका।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-08 दिनांक 07-10-2024 द्वारा पंचायत सचिव से उक्त वित्तीय विवरणों को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करने के सम्बन्ध में अपना पक्ष रखने को कहा गया जिसके जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा बताया गया कि उक्त समस्त अभिलेख/वित्तीय विवरण पंचायत में उपलब्ध नहीं है जिस कारण यह अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया जा सके। उत्तर संतोषजनक नहीं है।

अत: उक्त अभिलेखों/वित्तीय विवरणों का संधारण न करना अथवा उनका पंचायत रिकॉर्ड में उपलब्ध न होना न केवल नियमानुसार अनुचित है अपितु यह

आपत्तिजनक भी है। इस सम्बन्ध में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

10.3 महत्वपूर्ण रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण नियमानुसार न करने बारे।

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के **नियम 29 से 31** व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज सामान्य नियम के **नियम 34** के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव या तो अपूर्ण था अथवा निर्धारित प्रपत्र पर नियमानुसार संधारित नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र०	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	संदर्भित नियम	टिप्पणी
1.	बजट प्राक्कलन	11	37	अपूर्ण
2.	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	09	30	संधारित नहीं
3.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	----	15(1)	संधारित नहीं
4.	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)	संधारित नहीं
5.	वर्गीकृत सार	08	29(4)	संधारित नहीं
6.	निर्माण कार्य रजिस्टर	--------	103	संधारित नहीं
7.	तकनीकी जाँच पड़ताल व मंजूरी आकलन	31	95(1)	संधारित नहीं
8.	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1) AB	संधारित नहीं
9.	बही खाता (Ledger)	07	29 (1 से 4)	संधारित नहीं
10.	बिल रजिस्टर	13	48	संधारित नहीं
11.	ग्राम पंचायत का स्टॉक/सामग्री रजिस्टर	01 व 06	34	संधारित नहीं
12.	अंकेक्षण प्रतिवेदन/प्रतिवेदनों रजिस्टर	30	89	संधारित नहीं

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-08 दिनांक 07-10-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा कहा गया कि, भविष्य में विहित रजिस्टरों का रख-रखाव नियमानुसार किया जायेगा। अत: भविष्य में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

11 भौतिक सत्यापन (Physical Verification) न करवाने बारे।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण,सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के **नियम 73** के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत रायपुर की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन अंकेक्षण अवधि में एक बार भी नहीं किया गया। जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता। समय-समय पर स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न होने से सामग्री विशेष के दुरूपयोग की सम्भावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। यह एक गम्भीर अनियमितता है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-08 दिनांक 07-10-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों की पुष्टि उपरान्त कहा कि, भविष्य में क्रय स्टोर/स्टॉक का भौतिक सत्यापन करवा कर विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा। उत्तर तकर्संगत प्रतीत नहीं होता है क्योंकि गत अवधि में क्रय किये सामान के भौतिक सत्यापन के अभाव में उसके दुरूपयोग की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता। अत: मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

12. लघु आपत्ति विवरणिका:- लघु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है। अपितु समय-समय पर चर्चा के दौरान सभी पहलुओं, नियमों/प्रावधानों पर प्रकाश डाला गया।

13. **निष्कर्ष :-** उक्त अनियमितताओं के दृष्टिगत न केवल लेखों के सुधार अपितु नियमानुसार कार्रवाई न करके वित्तीय व विविध प्रक्रियात्मक चूक सम्बन्धी अनियमिततायें की जा रही है। यह बात उच्चाधिकारियों के समक्ष विशेष तौर पर इस आशय से लाई जाती है कि, उक्त अनियमितताओं के दृष्टिगत पंचायत के गहन जांच की नितांत आवश्यकता है ताकि किसी भी प्रकार से सरकारी धन के दुर्विनियोजन की सम्भावना को पूर्णतः नकारा जा सके।

(कृष्ण लाल नेगी) 26.11.24
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2626670

26 NOV 2024 का0/ले0
5721–5725

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) 15 (7) 14/2017 खण्ड–1 दिनांक शिमला–09
प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2. उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी चम्बा, जिला चम्बा, हि0प्र0।
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड भटियात, जिला चम्बा हि0प्र0।

पंजीकृत 5. सचिव, ग्राम पंचायत रायपुर, विकास खण्ड भटियात, जिला चम्बा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

26 NOV 2024

(कृष्ण लाल नेगी) 26.11.24
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2626670

का0/ले0

परिशिष्ट "1" पैरा संख्या 4.1 में संदर्भित

Financial Position of GP Raipur for the Year 2022-2023 To 2023-2024

1. Own Source

FINANCIAL YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	91711.39	238583.00	330294.39	246530.00	83764.39
2023-24	83764.39	27321.00	111085.39	52503.00	58582.39

2. Grants in aid

FINANCIAL YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	2315191.30	12993239.00	15308430.30	13031253.00	2277177.30
2023-24	2277177.30	6490864.00	8768041.30	7528734.00	1239307.30

1297889.69

नोटः प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम पंचायत रायपुर, विकास खंड भटियात में उपरोक्त निधियों के अंतर्गत पांच रोकड़ बहियाँ का संधारण किया जा रहा है जिनमें से मनरेगा की रोकड़बही प्रस्तुत नहीं की गई तथा 15वें वित्तायोग की ऑनलाइन व अन्य की मेनुअल रोकड़बहियाँ प्रस्तुत की गई है ।

1+2 (58582.39+1239307.30) Closing Balance as per Cash Books 1297889.69

Closing Balance as per Bank Passbook 1296030.69

Difference (Less in Bank book) 1859.00

Panchayat Secretary
Gram Panchayat, Raipur
Dev Block Bhattiyat.
Distt. Chamba (H.P.)

परिशिष्ट "2" पैरा संख्या 4 में सन्दर्भित

Financial Position Grants in Aids of GP Raipur for the Year to 2022-2023 To 2023-2024

Sr.No	Particulars	Year	Opening	Receipt	Total	Expenditure	Closing
1	MGNREGA	2022-23	0.00	9650883.00	9650883.00	9650883.00	0.00
		2023-24	0.00	5286004.00	5286004.00	5286004.00	0.00
2	15TH FC	2022-23	1815791.30	2118445.00	3934236.30	2212074.00	1722162.30
		2023-24	1722162.30	439966.00	2162128.30	1332246.00	829882.30
3	GENERAL SDP/VKVNY /ICDS	2022-23	260807.00	810238.00	1071045.00	601248.00	469797.00
		2023-24	469797.00	287836.00	757633.00	427292.00	330341.00
4	5th SFC	2022-23	238593.00	413673.00	652266.00	567048.00	85218.00
		2023-24	85218.00	477058.00	562276.00	483192.00	79084.00
			2315191.30	12993239.00	15308430.30	13031253.00	2277177.30
			2277177.30	6490864.00	8768041.30	7528734.00	1239307.30

प्रधान
ग्राम पंचायत
विकास खण्ड भटियात (चम्बा)

Panchayat Secretary
Gram Panchayat, Raipur
Dev Block Bhattiyat,
Distt. Chamba (H.P.)

Reported in Audit Para Number 9.5

Annexure "3" Store/ stock purchase Iregularties noticed in Codal Formalities in r/o GP Raipur

SR. NO.	NAME OF VENDER/ SUPPLIER	GRANTS/ HEAD	VOUCHER/ DATE	NAME OF MATERIAL	AMOUNT PAID	REMARKS
1	M/S Rana Traders	15th FC	18/	LED TV 32"	29800.00	No Qutations
	Chuwari, Chamba		5/5/2022			
2	M/S Mahajan Const. Co.	MGREGA	NIL	Sand,Stone,Agg &		Qutations Were not approved by sub committee of GP & No Compritive Statement & No Supply Order was prepared.
	VPO Chuwari, Chamba		5/23/2022	Steel, Bricks etc.	202654.00	
3	M/S Mahajan Const. Co.	MGREGA	Nil	Sand	67221	
	VPO Chuwari, Chamba		5/23/2022	Aggre.	103604	
4	M/S Mahajan Const. Co.	MGREGA	Nil			
	VPO Chuwari, Chamba		5/23/2022		59000	
5	M/S Mahajan Const. Co.	MGREGA	Nil	Stone,paint & Steel	114993.00	
	VPO Chuwari, Chamba		5/23/2022	Interlock Tiles		
6	M/S Mahajan Const. Co.	MGREGA	Nil	40mm 8750x19	166250.00	
	VPO Chuwari, Chamba		6/28/2023	Sand	37700	
				Aggre.	51035	
				Stone	50000	
7	M/S Mahajan Const. Co.	MGREGA	Nil	Interlock Tiles		
	VPO Chuwari, Chamba		5/23/2022		199513.22	
8	M/S Mahajan Const. Co.	MGREGA	Nil	Sand 24m3		
	VPO Chuwari, Chamba		6/28/2023	Aggre.1242sft		
				Bricks 4400	146428	
				TOTAL	**1228198.22**	

प्रधान
ग्राम पंचायत रायपुर
विकास खण्ड भटियात (चम्बा)

Panchayat Secretary
Gram Panchayat, Raipur
Dev Block Bhattiyat.
Distt. Chamba (H.P.)

Annexure "4" Refferred in Audit Para 8

DETAIL OF VENDER/SUPPLIER IN R/O GP RAIPUR TO WHOM PAYMENT MADE MADE WITHOUT OBTAINING W, X, FORM W.E.F. 04/2022 TO 03/2024

SR. NO.	NAME OF VENDER/ SUPPLIER	GRANTS/ HEAD	VOUCHER/ DATE	NAME OF MATERIAL	QTY. M3	QTY. TONNE	AMOUNT PAID
1	M/S Mahajan Const. Co.	VKVNY	07/	Sand	8.54	13.66	9650
	VPO Chuwari, Chamba		8/11/2022	Aggre.	7.50	14.55	6600
2	M/S Mahajan Const. Co.	VKVNY	09/	Sand	5.67	9.07	11000
	VPO Chuwari, Chamba		2/2/2023	Aggre.	5.67	11.00	10000
3	M/S Mahajan Const. Co.	VKVNY	09/	Stone	35.00	78.40	68898
	VPO Chuwari, Chamba		1/9/2024				
4	M/S Mahajan Const. Co.	15th FC	10/	Aggre.	10.20	19.79	18008
	VPO Chuwari, Chamba		5/3/2022	Sand	5.78	9.25	11244
5	M/S Mahajan Const. Co.	15th FC	11 & 12/	Sand	10.50	16.80	20405
	VPO Chuwari, Chamba		5/3/2022	Aggre.	19.20	37.25	33900
6	M/S Mahajan Const. Co.	15th FC	15 & 17/	Sand	16.14	25.82	31350
	VPO Chuwari, Chamba		5/5/2022	Aggre.	23.22	45.05	41000
7	M/S Mahajan Const. Co.	15th FC	20/	Aggre.	5.67	11.00	10000
	VPO Chuwari, Chamba		5/10/2022	Sand	5.67	9.07	11000
8	M/S Mahajan Const. Co.	15th FC	29/	Sand	6.79	10.86	13200
	VPO Chuwari, Chamba		6/16/2022	Aggre.	12.74	24.72	22500
9	M/S Mahajan Const. Co.	15th FC	32/	Sand	5.23	8.37	10175
	VPO Chuwari, Chamba		6/18/2022	Aggre.	9.91	19.23	17500
10	M/S Mahajan Const. Co.	15th FC	06-08/	Sand	13.59	21.74	26400
	VPO Chuwari, Chamba		7/28/2023	Aggre.	8.49	16.47	15000
				Stone	8.00	17.92	24000
11	M/S Mahajan Const. Co.	15th FC	41 & 42/	Aggre.	11.32	21.96	20000
	VPO Chuwari, Chamba		11/15/2023	Sand	11.32	18.11	22000
12	M/S Mahajan Const. Co.	MGREGA	Nil	Stone	12.25	27.44	24500
	VPO Chuwari, Chamba		5/23/2022				
13	M/S Mahajan Const. Co.	MGREGA	NIL	Sand	16.92	27.07	32825
	VPO Chuwari, Chamba		5/23/2022	Stone	20.00	44.80	40000
				Aggre.	19.62	38.06	34630
14	M/S Mahajan Const. Co.	MGREGA	NIL	Sand	34.75	55.60	67763
	VPO Chuwari, Chamba		5/23/2022	Aggre.	45.00	87.30	78750
15	M/S Mahajan Const. Co.	MGREGA	Nil	Sand	34.62	55.39	67221
	VPO Chuwari, Chamba		5/23/2022	Aggre.	58.70	113.88	103604
				Stone	29.50	66.08	59000
16	M/S Mahajan Const. Co.	MGREGA	Nil	Stone	25.00	56.00	50000
	VPO Chuwari, Chamba		5/23/2022	Aggre.	28.32	54.94	50000
				Sand	21.24	33.98	41250
17	M/S Mahajan Const. Co.	MGREGA	Nil	Sand	25.06	40.10	48675
	VPO Chuwari, Chamba		5/23/2022	Aggre.	24.03	46.62	42450
				Stone	48.91	109.56	89500
18	M/S Mahajan Const. Co.	MGREGA	Nil	Sand	21.36	34.18	37700
	VPO Chuwari, Chamba		6/28/2023	Aggre.	26.28	50.98	51035
				Stone	50.00	112.00	50000
19	M/S Mahajan Const. Co.	MGREGA	Nil	Sand	24.00	38.40	42528
	VPO Chuwari, Chamba		6/28/2023	Aggre.	35.17	68.23	62100
20	M/S Mahajan Const. Co.	MGREGA	Nil	Sand	13.56	21.70	25540.25
	VPO Chuwari, Chamba		6/28/2023	Aggre.	33.55	65.09	59240.25
				Stone	46.28	103.67	66552
						TOTAL	[redacted]
						Total	1678693.50

29

Panchayat Secretary
Gram Panchayat, Raipur
Dev Block Bhattiyat,
Distt. Chamba (H.P.)

Annexure "5" Reffered in Audit Para 8.

Statement Showing Detail of Payment TDS Not Deducted in r/o Gram Panchayat Raipur, Chamba H.P.

Sr. No.	Voucher No./ Date	Name of Fund	Detail of Suppliers	Service & Materail Detail	Amount	TDS @2 %	Applicable Act & Section
1	06 & 08 / 19-07-2022 & 31-08-2022	ICDS	M/S Manohar Lal , Raipur, Chamba	Bricks Carrige & Shuttring on rent	54000.00	1080.00	IT Act 1961 Section 194 C
2	10/ 13-03-2024	VKVNY	M/S Shiv Kumar PO Raipur, Chamba	Carrige of Stone	50000.00	1000.00	do
3	21/ 10-05-2022	15th FC	M/S Mahajan Constr. Co, Chuwari	Providing & Fixing PVC with Labour	149999.00	2999.98	do
4	08/ 18-12-2023	15th FC	M/S Ashok Kumar, PO Raipur, Chamba	Carrige of Stone	40000.00	800.00	IT Act 1961 Section 194 C
5	58 & 59/ 26-07-2022	15th FC	M/S Manohar Lal , Raipur, Chamba	Carrige of Cement, Sand & Agg.	32400.00	648.00	IT Act 1961 Section 194 C
				TOTAL	326399.00	6527.98	

प्रधान
ग्राम पंचायत रायपुर
विकास खण्ड भटियात (चम्बा)

Panchayat Secretary
Gram Panchayat, Raipur
Dev Block Bhattiyat.
Distt. Chamba (H P.)

(26)

30

Reffered in Audit Para number 9.6 & 9.7
& Joint Sign.

Annexure "6" Payment made without Proper/Tax Bill in R/o GP Raipur, Chamba

SR. NO.	NAME OF VENDER/ SUPPLIER	GRANTS/ HEAD	VOUCHER/ DATE	NAME OF MATERIAL	QTY./Rate	AMOUNT PAID	Remarks
1	M/S H.P. Civil Supply	ICDS	05/	Cement		36700.00	Performa Bill
	Chuwari, Chamba		5/27/2022		86x426		Do
2	M/S Manohar Lal	ICDS	06/19-07-2022	Bricks Carrige	28000.00		Plain paper
	PO Raipur, Chamba		08/31-08-2022	Shuttring	28000.00	56000.00	Performa Bill
3	M/S Mahajan Const. Co.	VKVNY	07/	Sand	8.54	9650	Performa Bill
	VPO Chuwari, Chamba		8/11/2022	Aggre.	7.50	6600	do
4	M/S Mahajan Const. Co.	15th FC	10/	Aggre.	10.20	18008	Performa Bill
	VPO Chuwari, Chamba		5/3/2022	Sand	5.78	11244	do
5	M/S H.P. Civil Supply	15th FC	09/	Cement	50 bags		do
	Chuwari, Chamba		5/3/2022		385.00	19250.00	do
6	M/S Mahajan Const. Co.	15th FC	21/	Providing & Fixing			do
	VPO Chuwari, Chamba		5/5/2022	PVC With Labour		149999.00	do
7	M/S Ashok Kumar	15th FC	38/	Stone	2000 no x20		Plain paper
	PO Raipur, Chamba		7/16/2022			40000.00	do
8	M/S Delux Industry	15th FC	66 & 69/	Dustbin 65 ltr.	45@3600	191160.00	Performa Bill
	Jassur, Kangra		8/8/2022	Dustbin 40 ltr.	01@2019	2382.00	do
9	M/S H.P. Civil Supply	MGREGA	Nil	Cement	400x370	148000.00	do
	Chuwari, Chamba		5/23/2022	Cement	370x150	55500.00	do
10	M/S Mahajan Const. Co.	MGREGA	NIL	Sand,Stone,Agg &	101327.00		do
	VPO Chuwari, Chamba		5/23/2022	Steel, Bricks etc.	101327.00	202654.00	do
11	M/S Mahajan Const. Co.	MGREGA	Nil	Sand	34.62	67221	do
	VPO Chuwari, Chamba		5/23/2022	Aggre.	58.70	103604	do
12	M/S Mahajan Const. Co.	MGREGA	Nil		29.50	59000	do
	VPO Chuwari, Chamba		5/23/2022	Stone,paint & Steel		114993.00	do
13	M/S Mahajan Const. Co.	MGREGA	Nil	Interlock Tiles	8750 No.		do
	VPO Chuwari, Chamba		5/23/2022	40mm 8750x19	x 19	166250.00	do
14	M/S Mahajan Const. Co.	MGREGA	Nil	Sand	21.36	37700	do
	VPO Chuwari, Chamba		6/28/2023	Aggre.	26.28	51035	do
				Stone	50.00	50000	do
15	M/S Mahajan Const. Co.	MGREGA	Nil	Interlock Tiles	8946x18.90		do
	VPO Chuwari, Chamba		5/23/2022		GST@ 18%	199513.22	do
16	M/S Mahajan Const. Co.	MGREGA	Nil	Sand 24m3	42528.00		do
	VPO Chuwari, Chamba		6/28/2023	Aggre.1242sft	62100.00		do
				Bricks 4400	41800.00	146428	do
					[redacted]	[redacted]	
					Total	1942891.22	

Panchayat Secretary
Gram Panchayat, Raipur
Dev Block Bhattiyat,
Distt. Chamba (H.P.)